

# सारण समाहरणालय, छपरा

(जिला योजना कार्यालय)

## आदेश

प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 3392 दिनांक - 10.11.2011 एवं झापांक /2905 दिनांक 11.07.14 के आलोक में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत माननीय स0वि0स0, मढ़ौरा, द्वारा प्रखंडवार/नगरनिकायवार वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुमोदित चापाकल का प्राक्कलन तैयार कर कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमण्डल - 02, सोनपुर के द्वारा योजनावार प्राक्कलित राशि पर तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई है तथा पत्रांक 98 दिनांक 16.01.2019 तथा पत्रांक 210 दिनांक 01.02.2019 के द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति हेतु अनुरोध किया गया है। कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभि0 संगठन, कार्य प्रमंडल - 02, सोनपुर के द्वारा प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति की राशि पर उप विकास आयुक्त, सारण, छपरा के पत्रांक 392 दिनांक 11.02.2019 द्वारा सात मिश्रय से विलोपन संबंधी प्राप्त प्रमाण-पत्रनिम्नालिखित योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र०	प्रखण्ड	स्वीकृत योजना का नाम	तकनीकी स्वीकृति की राशि	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	माननीय विधायक का नाम
1	नगरा	नगरा प्रखण्ड अंतर्गत ग्राम अफौर में श्री हरिशंकर उपाध्याय के घर से तीनमुहानी पर पी0सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।	701017.00	701017.00	श्री जितेन्द्र कुमार राय
2	"	नगरा प्रखण्ड अंतर्गत ग्राम खोदाईबाग में गंगा राय के घर के सामने मुख्य सड़क से द्वारिका प्रसाद के घर तक सड़क का निर्माण।	134400.00	134400.00	"
3	"	नगरा प्रखण्ड अंतर्गत ग्राम रामपुर कला में घीनावन साव के मकान से दुट्टु सिंह के घर तक पी0सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य।	455000.00	455000.00	"
कुल योग:-			1290417.00	1290417.00	


प्रशासनिक स्वीकृति की राशि :- (बारह लाख नब्बे हजार चार सौ सत्रह रुपये मात्र।)

कार्यकारी एजेन्सी का नाम :- इन स्वीकृत योजना का कार्य विभागीय/निविदा के माध्यम से कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमण्डल- 02, सोनपुर द्वारा योजना एवं विकास विभाग के पत्रांक 5255 दिनांक 23.06.14 के आलोक में स्थानीय स्तर पर प्रचार प्रसार के द्वारा विभागीय/ निविदा आमंत्रित कर योजना का कार्यान्वयन कराना सुनिश्चित किया जाय।

### कार्यान्वयन की शर्तें


1. योजना का कार्य प्रारंभ करने के पूर्व संतुष्ट हो लेगे कि स्थल विवादग्रस्त नहीं है, तथा किसी की निजी जमीन योजना स्थल के बीच में नहीं पड़ती है। योजना कार्य के किसी भी वजह से अवरूध होने की स्थिति में सारी जवाबदेही आपकी होगी।
2. सरकार के उप सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 5225 दिनांक - 23.09.14 में निहित निदेश के आलोक में स्वीकृत योजनाओं के लोक निर्माण संहिता के प्रावधानों के अनुरूप निविदा के माध्यम से कराया जाय।
3. योजनाओं के प्राक्कलन का पुनरीक्षण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जायेगा।
4. स्वीकृत प्राक्कलन में वर्णित कंडिकावार विशिष्टियों के अनुरूप योजना-कार्य सम्पादित किया जाय।
5. योजना के कार्य की गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी या त्रुटि पाए जाने पर सारी जवाबदेही आपकी होगी।
6. योजना स्थल पर योजना से संबंधित पूर्ण विवरणी अंकित करते हुए योजना पट्ट लगाना सुनिश्चित करे।
7. योजना स्थल पर स्वीकृत प्राक्कलन की एक प्रति रखा जाना आवश्यक है।

8. योजना स्थल पर योजना प्रारंभ करने के पूर्व, कार्यान्वयन अवधि में एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटो ग्राफी/विडियो ग्राफी की प्रति योजना कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।
9. योजना पूर्ण होने पर प्रारंभ करने की तिथि तथा पूर्ण होने की तिथि के साथ पूर्णता/उपयोगिता प्रमाणपत्र भेजा जाए, ताकि इन नवसृजित योजनाओं का भविष्य में रख रखाव हेतु संबंधित प्रशासी विभाग को स्थानांतरित किया जा सके।
10. योजना का कार्य तीन माह में निश्चित रूप से पूर्ण कर लिया जाय।
11. योजना कार्य प्रारंभ करने के पूर्व संबंधित अंचलाधिकारी से भूमि संबंधी स्पष्ट प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर ले। यदि योजना स्थल में किसी की रैयती भूमि अवस्थित हो तो भू-दाता के द्वारा उसे महामहिम राज्यपाल के नाम से निबंधित करने के पश्चात् ही योजना कार्य प्रारंभ करे। अन्यथा किसी भी प्रकार अनियमितता की सारी जबाबदेही संबंधित कार्य एजेन्सी की होगी।
12. प्रत्येक माह के 2री तारीख तक निश्चित रूप से मासिक प्रगति प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में जिला योजना कार्यालय सारण छपरा को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय।

  
 जिला योजना पदाधिकारी  
 सारण, छपरा।

ज्ञापांक 261 / यो0 दिनांक 15/02/2019

- प्रतिलिपि :-**कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमण्डल -02, सोनपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित करते हुए निदेशित किया जाता है, कि उक्त मद में प्राप्त आवंटन से योजना का नियमानुसार कार्यान्वयन कराना सुनिश्चित करेंगे।
- प्रतिलिपि :-**सचिव, योजना एवं विकास विभाग बिहार पटना की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :-**क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी, सारण प्रमण्डल छपरा को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :-**कोषागार पदाधिकारी, सारण छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0 आई0 सी0 सारण, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। जिला के वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे/अंचलाधिकारी, नगरा को सूचनार्थ एवं निदेशित किया जाता है कि उपरोक्त योजनाओं का जमीन प्रतिवेदन कार्यकारी एजेन्सी को शीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
- प्रतिलिपि :-**जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा को सूचनार्थ प्रेषित/माननीय स0वि0स0 को सूचनार्थ प्रेषित।

  
 14-02-19  
 जिला योजना पदाधिकारी  
 सारण, छपरा।